

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 21/03/21


विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रुपये 167.353 लाख (रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 77/12.02.2018; 04/21.04.2017; 01/20.04.2018 एवं 14/06.07.2018  
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S470200101200545	167.353
आवंटित राशि - रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक एवं पुनर्विनिर्माण में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 850.00 लाख (रुपये आठ करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
20/03/21  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 321

राँची, दिनांक :- 21/03/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, झोरण्डा/गढ़वा/पलामू/मेदिनीनगर/रामगढ़/बोकारो/गोड्डा/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


  
20/03/21  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव


ज्ञापांक :- 321

राँची, दिनांक :- 21/03/21

प्रतिलिपि :- सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
20/03/21  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



विभागीय पत्रांक ..... 321

दिनांक ..... 21/02/21

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय

लघु शीर्ष-101-सतही जल,

उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

संशोधित बजट उपबंध (2020-21) - रूपये 850.00 लाख (रूपये आठ करोड़ पचास लाख) मात्र

विपत्र कोड- 50S470200101200545

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	गढ़वा	रंका	बरदरी म0सिंयो0 का जीर्णो	77/2017-18 dt.12.02.2018	28.646	2162/ 13.02.2018	26.808	25.766	0.000	0.666	0.666	26.432	90667		
2	(GRHMMR001)		काण्डी	फलरिया म0सिंयो0 का जीर्णो		19.854		18.108	17.121	0.000	0.490	0.490	17.611			
योग :-						48.500		44.916	42.887	0.000	1.156	1.156	44.043			
3	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMMR041)	पांकी	बरदगा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो	04/2017-18 dt. 21.04.2017	33.431	448/ 02.05.2017	38.586	35.607	0.000	3.176	3.176	38.783	90678		
4	2		पाटन	लकड़मनवा आहर का जीर्णो		9.851		10.126	9.712	0.000	0.417	0.417	10.129			
5	3		पांकी	महुंगाई मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो		34.192		34.475	34.192	0.000	0.601	0.601	34.793			
6	4		सतबरवा	दरुआ मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो		30.200		30.136	29.180	0.000	1.127	1.127	30.307			
7	5		लेस्लीगंज	भेड़िया म0सिंयो0 का जीर्णो	77/2017-18 dt. 12.02.2018	37.285	2162/ 13.02.2018	44.705	36.154	0.000	8.567	8.567	44.721	90669		
8	6	तरहसी	महुअरी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो		39.700		40.149	39.230	0.000	1.200	1.200	40.430				
9	7	मनातू	ग्राम सिलदिलीया खुर्द में कनौदा आहर का जीर्णो		43.864			47.799	41.780	0.000	5.942	5.942	47.722			
योग :-						228.523		245.976	225.855	0.000	21.030	21.030	246.885			
10	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग	हजारीबाग	बरकटा	खैरा बड़ा तालाब (आहर) का जीर्णोद्वार	77/2017-18 dt. 12.02.2018	61.363	2162/ 13.02.2018	54.220	47.300	0.000	2.432	2.432	49.732	90671	
11	2	हजारीबाग (HZBMMR001)		बरही	केवाल मध्यम सिंचाई योजना	01/2018-19 dt. 20.04.2018	134.336	194/ 20.04.2018	119.400	77.290	37.781	1.052	38.833	116.123	90682	
योग :-						195.699		173.620	124.590	37.781	3.484	41.265	165.855			

(सजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)  
सचिव

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में				Online Allotment Access No.	अव्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	कुल अवशेष आवंटन (10+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	1	रामगढ़	गोला	मोहन बैड़ा आहर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो	04/2017-18 dt.21.04.2017	110.622	448/ 02.05.2017	103.030	52.274	0.000	1.438	1.438	53.712	90679	
13	2	लघु सिंचाई हजारीबाग	विशनुगढ़	तिलाई बांध का जीर्णो	22.712			20.639	0.000	12.943	7.224	20.167	20.167		
14	3	प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)	हजारीबाग	भुक्भुकिया डैम आहर का जीर्णो	77/2017-18 dt.12.02.2018	126.990	2162/ 13.02.2018	112.741	0.000	82.340	39.192	121.532	121.532	90674	
15	4	रामगढ़	गोला	जोमिया डैम आहर म0सिंयो0 का जीर्णो	01/2018-19 dt.20.04.2018	153.509	194/ 20.04.2018	135.653	0.000	0.000	27.858	27.858	27.858	90683	
योग :-						413.833		372.063	52.274	95.283	75.712	170.995	223.269		
16	1		चास	मनिया बाँध म0सिंयो0 का जीर्णो	01/2018-19 dt.20.04.2018	269.717	194/ 20.04.2018	285.366	139.300	118.277	0.526	118.803	258.103	90684	
17	2		पेटखार	अम्बागढ़ा म0सिंयो0 का जीर्णो		35.080		31.262	12.780	12.877	4.252	17.129	29.909		
18	3	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMR001)	बोकारो	मस्तराम बांध का जीर्णो	04/2017-18 dt.21.04.2017	43.788	448/ 02.05.2017	38.853	10.000	27.995	0.280	28.275	38.275	90680	
19	4			चन्द्रनिकियारी	77/2017-18	47.154	2162/ 13.02.2018	41.331	30.880	6.944	0.070	7.014	37.894		
20	5			चन्द्रपुरा	dt.12.02.2018	31.021		27.887	20.999	0.000	7.170	7.170	28.169	90677	
योग :-						426.760		424.699	213.959	166.093	12.298	178.391	392.350		
21	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMAR014)	गोड्डा	पोरैयाहाट	14/2018-19 dt.06.07.2018	52.984	823/ 09.07.2018	54.640	24.620	0.000	20.000	20.000	44.620	90685	
योग :-						52.984		54.640	24.620	0.000	20.000	20.000	44.620		
22	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)	गिरिडीह	बगोदर	04/2017-18 dt.21.04.2017	103.738	448/ 02.05.2017	92.355	50.910	0.000	33.673	33.673	84.583	90681	
योग :-						103.738		92.355	50.910	0.000	33.673	33.673	84.583		
सकल योग :-						1,470,037		1,408,269	735,095	299,157	167,353	466,510	1,201,605		

रूपये एक करोड़ सड़सठ लाख पैतीस हजार तीन सौ मात्र।

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)  
सचिव

(राशि लाख रूपये में)